**Regarding resolving disputes between hospitals and health insurance companies for patient welfare- Laid**

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) **:** मैं सरकार का ध्यान अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच विवाद से देशभर में मरीजों को हो रही परेशानी के प्रति आकृष्ट करना चाहती हूँ | कैशलेस इलाज के टैरिफ, बिलिंग और भुगतान में देरी के कारण बीमाधारक मरीजों को इलाज के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । बीमा के बाद भी उन्हें इलाज का भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे उन पर बीमा के प्रीमीयम का भुगतान और इलाज के खर्च दोनों का भार स्वयं उठाना पड़ रहा है । जहाँ अस्पताल ज़्यादा दरों के भुगतान की मांग करते हैं वहीं बीमा कंपनियाँ ज्यादा बिलिंग अमाउंट के भुगतान देने में चिंतित व सतर्क रहती हैं जिस कारण से भुगतान में देरी होती है जिसका नकारात्मक प्रभाव बीमाधारकों पर पड़ता है । इसके साथ बीमा कंपनियाँ अस्पतालों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाने या गलत बिलिंग के कारण दावों को अस्वीकार कर देती हैं जिससे दोनों के बीच विवाद होता है । अत: मेरा केंद्र सरकार से विशेष अनुरोध है कि देशभर के बीमाधारकों के हितों की रक्षा और सुगम इलाज की उपलब्धता के लिए अस्पतालों और बीमा कंपनियों के मध्य हो रहे विवाद के निपटन के लिए हर संभव नीतिगत प्रयास शीघ्रातिशीघ्र किये जाएं ।